महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.06.2022

मीडिया सेल, महोबा

थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिये सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 11.06.2022 को चतुर्थ शनिवार को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा थाना चरखारी महोबा में उपजिलाधिकारी चरखारी, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री संगम कुमार व थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री उमापति मिश्रा की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना खरेला में प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री राजेश कुमार की मौजूदगी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

जिसमें लोगों की समस्याओं/शिकायतों को सुनकर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व टीम के साथ समन्वय स्थापित कर मौके पर जाकर समस्या का निस्तारण किया जाये। माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस का आयोजन जनपद महोबा के समस्त थानों में किया गया, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुना गया।

थाना समाधान दिवस के अवसर पर द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर सभी थानों में कुल **62** शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से **49** शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी कुल प्राप्त शिकायतों में **18** शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा थाना श्रीनगर में, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कोतवाली महोबा में, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र द्वारा थाना कुलपहाड़ में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं को सुना गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना खरेला का किया गया अर्दली रुम, लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की कर दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 11.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा थाना खरेला का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना खरेला में लम्बित विवेचनाओं के सन्बंध में विस्तृत रुप से वार्ता करते हुये लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की गई तथा विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने हेतु सम्बंधित विवेचकों को निर्देशित किया गया साथ ही जनशिकायतों की सुनवाई कर जाँच करने व विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिक समय से लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए वांछित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी करने, आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों एवं शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण, रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने सहित अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के तस्करों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए, इसके साथ ही वर्तमान समय में शासन एवं उच्चाधिकारीग द्वारा जारी आदेशों एवं अभियानों के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री राजेश कुमार सहित थानास्थानीय के समस्त विवेचकगण/उपनिरीक्षक उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना खरेला का किया गया औचक निरीक्षण, कानून-व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में दिये आवश्यक निर्देश -

आज दिनांक 11.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा थाना खरेला का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के साइबर हेल्प डेस्क, रजिस्टर नंबर 8, अपराध रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, सीसीटीएनएस कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया, रजिस्टरों को अद्यावधिक रखने हेतु व पाई गई कमियों को दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात बन्दी गृह, महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय, आरक्षी बैरक, मालखाना इत्यादि का निरीक्षण किया गया व मिशन शक्ति योजना के क्रम में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का गहन निरीक्षण करते हुए रिकार्ड रजिस्टर व प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा लावारिस वाहनों एवं मालों का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने व थाने की साफ-सफाई उच्चकोटि की बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया, थाने पर उपस्थित समस्त अधिकारी / कर्मचारीगण को थाने पर आने वाले आगंतुकों / शिकायतकर्ताओं / वादियों के साथ शालीनता पूर्वक विनम्र व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना खरेला में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी व सम्बन्धित को निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री राजेश कुमार सहित थाना खरेला में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, चोरी करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार कब्जे से चोरी की गयी मूर्तियां बरामद-

दिनांक 08.06.2022 को वादी श्री जनार्दन सोनी नि0 मैन मार्केट श्रीनगर द्वारा सूचना दर्ज कराई गई कि अभि0 कुलदीप द्वारा दिनांक 08.06.2022 की रात्रि मे उनकी मूर्ति कला की दुकान की दीवार फादकर दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी पीतल की क्रमशः भगवान परशुराम की एक मूर्ति व पीतल का रामदरबार व भगवान लड्डू गोपाल की 3 मूर्ति व श्रीकृष्ण भगवान की 01 मूर्ति चोरी कर लिया है इस सूचना पर मु0अ0स0 96/22 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया सूचना का संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण के लिये टीम गठित कर वांछित अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी व चोरी गई मूर्तियों की बरामदगी किये जाने हेतु कडे आदेश निर्देश दिये गये गये थे।

उक्त आदेश निर्देशो के अनुपालन मे आज दिनांक 11.06.2022 को गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबधित चोरी गये माल को छतरपुर ले जाकर बेचने की फिराक मे बिलरही तिराहे कस्बा श्रीनगर पर खडे 02 नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ मे दोनो अभियुक्तो ने दिनांक 08.06.2022 की रात्रि वादी की दुकान से मूर्तिया चोरी करना स्वीकार किया व बटवारा कर छतरपुर ले जाने के बारे मे बताया जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की चोरी गई सम्पूर्ण मूर्ति बरामद की गई।

अभि0गणो की गिरफ्तारी व उनके कब्जे से मांल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई व अभि0 शैलू विश्वकर्मा पुत्र विष्णु विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी मु0 दाउपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा का नाम प्रकाश मे आया है, अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 457/380/411 भादवि बनाम अभि0गण 1. कुलदीप उर्फ भूरा पुत्र स्व0 निरंजनलाल उम्र 42 वर्ष निवासी डीबी 333 वार्ड न0 2 बसेलवा कालोनी थाना पुराना फरीदाबाद जिला फरीदाबाद राज्य हरियाणा व 2. शैलू विश्वकर्मा पुत्र विष्णु विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष निवावी मु0 दाउपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभि0गणो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये दोनो अभि0गणो को मान0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 शिवस्वरूप सिंह
2. हे0का0 रामेन्द्र सिंह 3. कां0 राघवेन्द्र सिंह

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एंव कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक **11.06.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रो में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **112** ई-चालान किये गये।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारी के तहत प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री उमापति मिश्रा द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 चेतराम मय हमराह का0 शोयब खान, म0का0 कोमल शर्मा व म0का0 प्रीति द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित/वारंटी के दौरान 1.राजकुमार पुत्र सुन्दरलाल कुशवाहा 2.सुन्दरलाल पुत्र शिवपाल कुशवाहा 3. राजा बाई पत्नी सुन्दरलाल कुशवाहा निवासीगण ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित मु.अ.सं.157/22 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट को ग्राम फतेहपुर के पहले नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त वांछितों को सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 चेतराम 2.का0 शोयब खान 3. म0का0 कोमल शर्मा 4. म0का0 प्रीति

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.राजकुमार पुत्र सुन्दरलाल कुशवाहा
2.सुन्दरलाल पुत्र शिवपाल कुशवाहा
3.श्रीमती राजा बाई पत्नी सुन्दरलाल कुशवाहा निवासीगण ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तहत थाना अजनर थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह द्वारा गठित की गयी टीम उपनिरीक्षक श्री सुखशेखर राही द्वारा गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 75/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 11(घ) पशु क्रूरता अधि0 के वांछित अभियुक्त इरफान पुत्र ननकू उम्र 45 वर्ष निवासी पता ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लाक 21, कांशीराम कालोनी बिच्छू पहड़िया, पुलिस चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा को ग्राम पुरवा पनवाड़ी तिराहा के पास गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सुखशेखर राही थाना अजनर जनपद महोबा।
2. का. राहुल यादव थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

इरफान पुत्र ननकू उम्र 45 वर्ष निवासी पता ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक 21 कांशीराम कालोनी बिच्छू पहड़िया, पुलिस चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तहत थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित टीम वरि0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा मय हमराह का0 प्रतीक कुमार व का0 नरेन्द्र कुमार के वारण्टी अभियुक्त मोनू सिंह पुत्र प्रताप सिंह कस्बा व थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित एनसीआर नं0 15/15 धारा 323/504/506 भादवि थाना खन्ना महोबा माननीय न्याय0 सिविल जज जू0डि0/जे0एम0 महोबा द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू के अनुपालन में गिरफ्तारी बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोनू सिंह पुत्र प्रताप सिंह कस्बा व थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.वरि0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा थाना खन्ना जनपद महोबा
2.का0 प्रतीक कुमार थाना खन्ना जनपद महोबा
3.का0 नरेन्द्र कुमार थाना खन्ना जनपद महोबा

महोबा पुलिस